विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम : कृषि

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2047

उत्तर की तिथि : 09.03.2022

विषय : नकदी फसलें

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री रमेश चंद ध्वाला (ज्वालामुखी)

सम्बन्धित मन्त्री : ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री

प्रश्न	उत्तर
क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे किः– (क) जिला कांगड़ा में कौन–कौन सी नकदी फसलें उगाई जा रही हैं; विवरण दें; और	(क) तथा (ख) सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।
(ख) सरकार द्वारा नकदी फसलों के प्रोत्साहन हेतु किसानों को किस प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है; विवरण दें ?	

श्री रमेश चंद ध्वाला (ज्वालामुखी) द्वारा पूछे गए अतारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या 2047 से सम्बन्धित सूचनाः–

(क) जिला कांगड़ा में कम से कम 19 फसलें नकदी फसलों के तौर पर उगाई जा रही हैं। जिनका विवरण इस प्रकार हैः–

क0सं0	नकदी फसलें	फसल के अंतर्गत क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	वर्ष 2021–22 में जिला कांगडा में विभाग द्वारा वितरित बीज की मात्रा (कि0 ग्रा0)	कुल पैदावार (क्विंटल में)
1.	आलू	39	97500	5850
2.	प्याज	230	2800	25300
3.	मटर	8	960	920
4.	मूली	93.50	935	15895
5.	करेला	22	111	2750
6.	घीया	23	113	5175
7.	बैंगन	28	28	4890
8.	टमाटर	29	14.5	6525
9.	फ्रैंचबीन	26	1800	2340
10.	भिंडी	120	2400	21000
11.	खीरा	12	39	1080
12.	शिमला मिर्च	26	8	2860
13.	मिर्च	2.80	7	630
14.	धनिया	51	1540	4590
15.	फूल गोभी	35	21	5950
16.	पत्ता गोभी	11.50	6.5	1840
17.	शलगम	25	100	5510
18.	पालक	60	1500	7180
19.	मैथी	8	110	680
जोड़		849.80	109993	120965

(ख) सरकार द्वारा नकदी फसलों के प्रोत्साहन हेतु किसानों को निम्नलिखित सहायता प्रदान की जा रही है :—

- नकदी फसलों के प्रोत्साहन हेतु किसानों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बीजों पर अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इन योजनाओं में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान (NFSM) प्रमुख योजनाएं है।

- हिमाचल प्रदेश फसल विविधिकरण प्रोत्साहन परियोजना (JICA-ODA Phase-1) के अंतर्गत नकदी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु इस योजना के अंतर्गत 100 प्रतिशत अनुदान पर चिन्हित उपयोजनाओं के तहत लाभान्वित किया गया है। जिसमें किसानों की आय में कई गुना वृद्धि दर्ज की गई है।

- मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत किसानों को अपनी सब्जियों को जंगली जानवरों से बचाने हेतु भी विभाग 80 प्रतिशत व्यक्तिगत व 85 प्रतिशत सामूहिक अनुदान दे रहा है।

- विभाग सब्जियों को प्राकृतिक आपदा जैसे – ओलावृष्टि आदि से बचाने हेतु ओला रोधी जाल स्कीम के तहत 80 प्रतिशत अनुदान दे रहा है।

- आवश्यकता का मुकाबला/खेत मजदूरी के लिये विभाग मशीनीकरण को भी बढ़ावा दे रहा है तथा उसके अन्तर्गत भी अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

- मौसम आधारित फसल बीमा के तहत किसानों को अपनी नकदी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिये किसानों को बीमा करवाने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। फसलवार विभिन्न नकदी फसलों का अधिमूल्य व बीमा राशि का ब्यौरा निम्नलिखित है:—

क्र0सं0	नकदी फसलें	फसल के अंतर्गत क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	अधिमूल्य राशि (प्रति हैक्टेयर)	बीमा राशि (प्रति हैक्टेयर)
1	आलू	खरीफ	3750	75000
		रबी	3150	12500
2	टमाटर	खरीफ व रबी	5000	100000
3	शिमला मिर्च	खरीफ	2000	40000
4	अदरक	खरीफ	7500	150000
5	मटर	खरीफ	5000	100000
6	लहसुन	रबी	3750	75000
7	बंदगोभी	खरीफ	3750	75000
8	फूलगोभी	खरीफ	3750	75000